



कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

ई-मेल आईडी : cmoharidwar2017@gmail.com. pndtharidwar@gmail.com



पत्रांक : एम0टी0पी0 / जि0स्त0स0 / 2024-25 / 5497

दिनांक : 30/8/2024


— : विज्ञप्ति : —

गर्भ का चिकित्सकीय समापन(एम0टी0पी0) अधिनियम 1971 सहपठित नियम 2003 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की जिला स्तरीय समिति हेतु (पदेन सदस्यों को छोड़कर) अन्य सदस्यों का चयन किये जाने हेतु अधिनियम में दी गयी आर्हता/शैक्षिक योग्यता के अनुसार इच्छुक आवेदकों से जीवनवृत्त (बायो-डेटा) आगंत्रित किये जाते हैं।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन(एम0टी0पी0) अधिनियम 1971 की धारा 04(ख) एवं सहपठित नियम, 2003 के नियम-03 (01) के अनुसार -


1. रत्री रोग विज्ञानी/सर्जन/एनेस्थटिस्ट में से एक सदस्य।
2. स्थानीय चिकित्सा वृत्ति से एक सदस्य।
3. गैर-शासकीय संगठन से एक सदस्य।
4. जिले की पंचायती राज संस्था से एक सदस्य।

उपरोक्त चयनित सदस्यगण स्वैच्छिक सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिनका कार्यकाल 02 वर्ष का होगा। सदस्यता हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन प्रार्थना-पत्र संक्षिप्त परिचय सहित कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोशनाबाद, हरिद्वार में डाक/ई-मेल(pndtharidwar@gmail.com)/स्वयं उपस्थित हो कर दिनांक : 10/09/2024.....2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-हरिद्वार।

प्रतिलिपि : सूचना पट्ट हेतु -

1. कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद हरिद्वार।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
3. कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद हरिद्वार।
4. कार्यालय वेबसाईट www.cmoharidwar.org पर अपलोड हेतु।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद-हरिद्वार।